राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश

8, अरेरा हिल्स, पुरानी जेल रोड, भोपाल

महत्वपूर्ण

क्रमांक / एन.एच.एम. / प.क. / 2020 / 181 भोपाल, दिनाक 18 / 11 / 2020

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी–2, मध्यप्रदेश।

विषयः– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निश्चित सेवा दिवस (एफ.डी.एस) के आयोजन के संबंध में।
संदर्भः– क्रमांक / एन.एच.एम. / प.क. / 2020 / 01 भोपाल, दिनांक 30 / 05 / 2020

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक 16 / 11 / 2020 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेस बैठक में प्रदेश में होने वाले निश्चित सेवा दिवस (एफ.डी.एस) में 10 केसेस को बढाकर अधिकतम 30 केसेस करने का निर्णय लिया गया है जो कि तीन पारियों में एक समय अन्तराल के साथ किये जा सकते है।

निर्देशित किया जाता है कि :–

- प्रत्येक निश्चित सेवा दिवस (एफ.डी.एस.) के आयोजन में कोविड–19 को ध्यान में में रखते हुए प्रत्येक 10 नसबंदी ऑपरेशन के उपरान्त चिकित्सा संस्थान/ ऑपरेशन थियेटर को विसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित करें एवं कोविड–19 के संक्रमण निवारण प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निश्चित सेवा दिवस में आये हितग्राहियों व हितग्राहियों के साथ आये परिजनो एवं सेवा प्रदाताओं द्वारा भौतिक दूरी, मास्क लगाना सुनिश्चित किया जाये।
- महिलाओं की निजता, गोपनियता एवं गरिमा का विशेष ध्यान रखते हुये जिस संस्था में एफ.डी.एस. का आयोजन किया जा रहा है उस संस्था के प्री एवं पोस्ट ऑपरेटिव केयर वार्ड में किसी प्रकार के बाहरी पुरूषों का आना–जाना निषेध किया जाये एवं फोटो, वीडियो बनाना वर्जित किया जाये।
- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. से जारी पत्र क्रमांक / अ.प्रशा / 2020 / 1054 भोपाल, दिनांक 29 / 10 / 2020 द्वारा कोविड–19 के परिपेक्ष्य में इलेक्टिव सर्जरी को स्थगित रखे जाने संबंधी निर्देश दिये गये थे। यह निर्देश परिवार नियोजन नसबन्दी ऑपरेशन के संदर्भ में लागू नहीं होंगे।

उपरोक्त निर्देशों एवं कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रति एफ.डी.एस. में अधिकतम 30 नसबंदी ऑपरेशन के लिये योजना तैयार करें एवं पर्याप्त संसाधनों का प्रबंध करायें जिससे प्रत्येक हितग्राही को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

क्रमांक / एन.एच.एम. / प.क. / 2020 / 182   भोपाल, दिनांक 18/ 11 / 2020

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
3. अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
4. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आर.एम.एन.सी.एच.ए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
6. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।

सही/-

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश